

कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: परिपत्र ::

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा शैक्षिक सत्र 2011-12 से कक्षा 10 एवं 12 में नेशनल केरिकुलम फ्रेमवर्क आधारित पाठ्यक्रम लागू किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में बोर्ड द्वारा एकल प्रश्न पत्र परीक्षा योजना लागू की गई। विभाग द्वारा इसी अनुरूप कक्षा 10 व 12 में विषयवार मूल्यांकन के लिए अंक विभाजन योजना जारी की जा रही है। यह योजना शैक्षिक सत्र 2011-12 से लागू मानी जायेगी !

विभाग द्वारा पूर्व में जारी कक्षोन्नति नियम यथावत लागू रहेंगे।

सलग्न- अंक योजना

(भास्कर ए. सावन्त)

आयुक्त

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/मा-स/22497/कक्षोन्नति/ 2011-12/

दिनांक : 25/7/11

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (गुप-6), विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
3. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा विभाग
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II)
5. रक्षित पत्रावली

आयुक्त

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 10 के लिये सत्र 2011-12 से लागू)

क्र० सं०	विषय	सामयिक परख					अर्द्धवार्षिक परीक्षा		कुल योग
		प्रथम परख	द्वितीय परख	तृतीय परख	योग	प्रश्नपत्र	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	भाषाएँ : (1) हिन्दी (2) अंग्रेजी (3) तृतीय भाषा	10 10 10	10 10 10	10 10 10	30 30 30	70 70 70	70 70 70	100 100 100	
2	विज्ञान	10	10	10	30	70	70	100	
3	सामाजिक विज्ञान	10	10	10	30	70	70	100	
4	गणित	10	10	10	30	70	70	100	
5	राजस्थान अध्ययन	10	10	10	30	70	70	100	
6	शांति एवं स्वास्थ्य शिक्षा	10	10	10	30	50 प्राप्ति	70	100	
7	फाउन्डेशन ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी	10	10	10	30	50 प्राप्ति	70	100	
8	(i) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा (ii) कला शिक्षा	अनिवार्य प्रवृत्ति 25 सैद्धान्तिक 25	वैकल्पिक प्रवृत्ति 45 प्रायोगिक 30+30	शिविर 30 प्रस्तुति कार्य 15	100			100	
9	नोट :- एस०यू०पी०डब्ल्यू एवं कला शिक्षा में सत्र आन्तरिक मूल्यांकन								

नोट :

1. अर्द्ध वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र 3.15 घण्टे सनधावधि का होगा। इसमें 15 मिनट का समय विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। यदि विद्यार्थी प्रश्न पत्र जल्दी पढलेता है तो शेष समय का उपयोग प्रश्न पत्र हल करने में भी कर सकता है।
2. अर्द्ध वार्षिक परीक्षा बोर्ड नियमानुसार एवं योजनानुसार ही आयोजित करे।
3. अर्द्ध वार्षिक परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जायेगा।
4. राजस्थान अध्ययन विषय का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा इस विषय के प्राप्ति को बोर्ड नियमानुसार ग्रेड में परिवर्तित कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को प्रेषित करेगा।



5. समाजोपयोगी उत्पादन कार्य एवं समाज सेवा/कला शिक्षा विषयों की लिखित परख/परीक्षाके स्थान पर वर्ष पर्यन्त सतत मूल्यांकन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की विवरणिका में निर्धारित प्रवृत्ति/कार्य/शिविर आदि के अनुसार होगा तथा कुल 100 अंकों में से प्राप्त अंक के आधार पर ग्रेडिंग प्रदान की जायेगी।
6. फाउण्डेशन ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी तथा शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा में अर्द्धवार्षिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर पूर्णांक 100 में से विद्यार्थी द्वारा बोर्ड को प्राप्त अंक प्रेषित किए जायेंगे। इन अंकों का उल्लेख बोर्ड द्वारा प्रस्तुत अंक तालिका में कर दिया जायेगा। इस विषय में प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण में नहीं जोड़े जायेंगे।
7. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को विषयवार सत्रांक एवं सत्रीय कार्य के अंक भेजने की कार्यवाही बोर्ड के निर्देशानुसार ही की जावे।



कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 12 के लिये सत्र 2011-12 से लागू)

क्र० सं०	विषय	सामयिक परख					अर्द्ध वार्षिक परीक्षा			कुल योग
		प्रथम परख	द्वितीय परख	तृतीय परख	योग	प्रश्न पत्र	प्रायोगिक	योग		
1	अनिवार्य विषय	3	4	5	6	7	8	9	10	
अ - अनिवार्य विषय										
1	हिन्दी	10	10	10	30	70		70	100	
2	अंग्रेजी	10	10	10	30	70		70	100	
3	राजस्थान अध्ययन (स्थानीय स्तर पर मूल्यांकन)	10	10	10	30	70		70	100	
ब - वैकल्पिक विषय										
(कला वर्ग)										
1	मनो. विज्ञान./भूगोल/ गृह विज्ञान	10	10	10	30	50	20	70	100	
2	संगीत/चित्रकला	10	10	10	30	20	50	70	100	
3	कम्प्यूटर विज्ञान/इम्फोरमेटिक्स प्रैक्टिस/मल्टिमिडिया वेबटेक	10	10	10	30	50	20	70	100	
4	अन्य सभी विषय (बोर्ड द्वारा संचालित) (विज्ञान वर्ग)	10	10	10	30	70		70	100	
(विज्ञान वर्ग)										
1	भौतिक/रसायन/जीव विज्ञान/भूविज्ञान	10	10	10	30	50	20	70	100	
2	संश्लेषित	10	10	10	30	70		70	100	
3	कम्प्यूटर विज्ञान/इन्फोरमेटिक्स प्रैक्टिस/मल्टिमिडिया वेबटेक	10	10	10	30	50	20	70	100	

(कृषी विज्ञान के लिए विषय)										
1.	कृषि विज्ञान	10	10	10	10	30	50	20	70	100
2.	जीव विज्ञान	10	10	10	10	30	50	20	70	100
3.	रसायन विज्ञान/भौतिक विज्ञान	10	10	10	10	30	50	20	70	100
4.	गणित	10	10	10	10	30	70		70	100
5.	कम्प्यूटर विज्ञान / इन्फोरमेटिक्स प्रैक्टिस / मल्टिमिडिया वेबटेक	10	10	10	10	30	50	20	70	100
(वाणिज्य वर्ष)										
1	व्यवसाय अध्ययन	10	10	10	10	30	70		70	100
2	हिन्दी व अंग्रेजी टंकण	5+5	5+5	5+5	5+5	15+15	35+35		35+35	50+50
3.	हिन्दी शीघ्र लिपी एवं टंकण लिपि	5+5	5+5	5+5	5+5	15+15	35+35		35+35	50+50
4	अंग्रेजी शीघ्र लिपी एवं टंकण लिपि	5+5	5+5	5+5	5+5	15+15	35+35		35+35	50+50
5	लेखाशास्त्र	10	10	10	10	30	70		70	100
6.	अर्थशास्त्र	10	10	10	10	30	70		70	100
7.	गणित	10	10	10	10	30	70		70	100
8	कम्प्यूटर विज्ञान / इन्फोरमेटिक्स प्रैक्टिस / मल्टिमिडिया वेबटेक	10	10	10	10	30	50	20	70	100

नोट :

- अर्द्ध वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र 3.15 घन्टे समयवाधि का होगा। इसमें 15 मिनट का समय विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। यदि विद्यार्थी प्रश्न पत्र जल्दी पढलेता है तो शेष समय का उपयोग प्रश्न पत्र हल करने में भी कर सकता है।
- अर्द्ध वार्षिक परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के नियमानुसार एवं योजनानुसार ही आयोजित करें।
- अर्द्ध वार्षिक परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जाएगा।
- प्रायोगिक परीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों एवं समयवअधि में ही जायेगी।
- विद्यार्थी को विषय चयन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के दिशा-निर्देशानुसार करने होंगे।

6. राजस्थान अध्यापन विभाग का मूल्यांकन विद्यालय आधारित होगा। वार्षिक परीक्षा में सैद्धांतिक विषय के 80 अंक तथा प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित हैं। विद्यालय द्वारा सैद्धांतिक एवं प्रोजेक्ट के प्रश्नों को ग्रेड में परिवर्तित कर बोर्ड को प्रेषित किये जायेंगे। विद्यालय द्वारा प्रेषित ग्रेड को बोर्ड द्वारा अंक सारिका में दर्शाया जायेगा।
7. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को विषयवार सत्रांक एवं सत्रावधि कार्य के अंक भेजने की कार्यवाही बोर्ड, के निर्देशानुसार ही की जाये।

~